RBE No. 217/2019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)II/2018/RR-1/31 **New Delhi, dated 30.12.2019**

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units
(As per Standard Mailing list)

Sub: Compassionate Ground Appointment as Sr. Section Engineer (SSE).

Consequent upon temporary ban on direct recruitment of SSE vide Board's letters No. E(NG)II/2018/RR-1/31 dated 25.10.2018, Board had clarified vide letter dated 06.03.2019 that this temporary ban on DR intake of SSEs does not apply to Compassionate Ground Appointments (CGA).

2. In the ongoing JE recruitment conducted by RRB, lakhs of B. Tech graduates have applied. Earlier recruitment data also suggests that though Diploma is the minimum qualification for DR intake into JE through RRB examinations, a majority of those eventually selected on merit were indeed B.Tech candidates. In such a competitive milieu ,therefore, it would be adequate and reasonable for B.Tech qualified CGA to be generally not considered for grades higher than JE in GP 4200/Level-6, if found suitable for the same.

3. While SSE is the most common post in the grade of GP 4600/Level-7 to which CG appointments, whenever approved in the grade of Level-7, are made, there are other posts like CLA/Public Prosecutor, Staff Nurse, Teachers in this grade too where DR exists and where CGA can, therefore, be offered as per extant provisions. DR intake into these categories has not been stopped.

4. In view of the above, the need for restricting CGA into Apex Group 'C' Level-7 (GP 4600) for SSEs and all such categories has been considered carefully by Board. Balancing the objectives of the need for compassion to deceased employee's family to extend to a reasonable Level with the need for quality intake at senior supervisory levels and the fierce level of competition in open market recruitment to these categories, it has been decided that :-

(a) CGA into SSE grade to be ordinarily avoided.

(b) Wherever CGA into SSE is being recommended in rare cases (such as where candidate has graduated from premier institutions such as IITs or NITs); the case be recommended to HQ for consideration by an SAG Committee nominated by GM. Papers to be set to be of adequate technical standard.

....Contd/-

(c) Recommendation of any case as at (b) above, is contingent to the candidate passing the general qualifying examination for lower Group – 'C' posts, along with other CG applicants, and in the first attempt.

5. Analogous procedure / protocol as cited at para-4 above be followed for considering CGA into Level-7 into the other eligible categories where DR is permissible, including those categories mentioned at para-3 above.

6. Past cases already decided otherwise need not be reopened.

(M.M. Rai)
Joint Director, Estt.(N)
Railway Board

No. E(NG)II/2018/RR-1/31 New Delhi, dated 30.12.2019

Copy to:

(i) The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(ii) The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 spares).
(iii) All Members of Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
(iv) The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Railway Board (5 spares).
(v) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association.
(vi) The President, Railway Board Class II Officers' Association.
(vii) The Secretary General, IRPOF.
(viii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(ix) The Secretary, Railways Board Ministerial Staff Association.
(x) The President, Railway Board Class IV Officers' Association.
(xi) The General Secretary, AIRPF Association.
(xii) The General Secretary, All India SC& ST Railway Employees Association, Room No-7, Rail Bhawan, New Delhi.
(xiii) Chief Commissioner for Railway Safety, Lucknow.
(xiv) Chief Administrative Officer, RCF/Raebareli Project, Kishanganj, Delhi-7.

For Secretary/Railway Board

Copy to: PSs to MR, MOS(R).

Copy to: PSO/Sr.PPS/PPSs/PSs/PA to:

....Contd/-

CRB, FC, MS, M(RS), ME, M(Tr), MT, M(S&T), M(MM), Secretary/Railway Board, DG/RHS, DG/RPF.

AM(Comml), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elect), AM(Budget), AM(ME), AM(Mech), AM(Plg), AM(PU), AM(Tele), AM(Sig), AM(Store), AM(TT), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(F), PED(Vig.), PED(Infra), PED(Transformation).

EDE(N), EDCE(G), EDF(E), ED(IR), ED(Safety), EDV(A), EDE(RRB), EDE(Sports), ED(E&R), EDE(GC), EDE(Res), EDH(P), ED(T&MPP), EDE, EDPC-I & II, EDF(BC), ED (ERP), EDE(G) Chairman/HRRC, JS, JS(G), JS(E), JS(C), Dir. (MPP), DS(G), DF(E), DE(G), DE(GP), DE(Rep.), JDF(E), JDE(N), JDE(P&A), JDE(GC), JDE(W), JDE(Res)I, JDE(Rep), DE(RRB), JDE(LL), DDF(E)I & III, DDE(MPP), DDE(R)-II, DDE(LR)-I ,II & III.

E(P&A)I&II, E(W), E(G), E(NG)I, E(Trg), E(MPP), F(E)I&II, A/C-III, ERB-I, II, III, IV, V & VI, E(Rep)I, II & III, E(Sports), E(W) Sec(E), FE(Spl), E(RRB), PC-III, IV, V & VI, E(SCT)I&II, E(GR) I & II, E(GC), E(GP), PR, E(D&A), E(Co-op), Signal, Tele., Code Revision Cell/ Branches of Railway Board.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)II/2018/आरआर-1/31 **नई दिल्ली, दिनांक 30.12.2019**

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: अनुकंपा के आधार पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में नियुक्ति।

बोर्ड के दिनांक 25.10.2018 के पत्र सं. ई(एनजी)II/2018/आरआर-1/31 के तहत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर सीधी भर्ती पर अस्थाई प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, बोर्ड के दिनांक 06.03.2019 के पत्र के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की सीधी भर्ती पर यह अस्थाई प्रतिबंध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर लागू नहीं है।

2. रेल भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही मौजूदा जूनियर इंजीनियर भर्ती में लाखों बी-टेक स्नातकों द्वारा आवेदन किए गए हैं। पिछली भर्ती डाटा से भी यह पता चलता है कि हालांकि रेल भर्ती बोर्ड परीक्षा के माध्यम से जूनियर इंजीनियर में सीधी भर्ती के लिए डिप्लोमा न्यूनतम अर्हता है, लेकिन फिर भी मेरिट के आधार पर चयन किए गए अधिकांश उम्मीदवार बी.टेक थे। अतः, ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में यह यथोचित और तर्कसंगत होगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए बी.टेक स्नातक को सामान्य तौर पर 4200 ग्रेड वेतन/लेवल-6 में जूनियर इंजीनियर से उच्च ग्रेड पर विचार नहीं किया जाए, यदि वे इसके उपयुक्त पाये जाते हैं।

3. जबकि सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड वेतन 4600/लेवल-7 में सबसे सामान्य पद है, जिसके लिए लेवल-7 के ग्रेड में अनुमोदित होने के बाद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, फिर भी इस ग्रेड में सीएलए/लोक अभियोजक, स्टाफ नर्स, अध्यापक जैसे अन्य पद हैं जहां सीधी भर्ती की जाती है और इसलिए मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा सकता है। इन कोटियों में सीधी भर्ती बंद नहीं की गई है।

4. उक्त को देखते हुए, शीर्ष ग्रुप 'सी' लेवल-7 (ग्रेड वेतन 4600) में सीनियर सेक्शन इंजीनियर और ऐसी सभी कोटियाँ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बोर्ड द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है। मृतक कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा की आवश्यकता के उद्देश्यों को पर्याप्त स्तर तक संतुलित करने और वरिष्ठ पर्यवेक्षीय स्तर पर गुणात्मक भर्ती करने और इन कोटियों में खुले बाजार से भर्ती में अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण, यह विनिश्चय किया गया है कि:-

(क) सीनियर सेक्शन इंजीनियर ग्रेड में आमतौर पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने से बचा जाए।

(ख) जहां-कहीं भी असामान्य मामलों में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की सिफ़ारिश की जा रही है (यदि उम्मीदवार प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी अथवा एनआईटी से स्नातक हो); ऐसे मामले को महाप्रबंधक द्वारा नामित वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड समिति के विचारार्थ मुख्यालय भेजा जाए। परीक्षा पत्र पर्याप्त रूप से तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएँ।

(ग) उपर्युक्त (ख) जैसे किसी भी मामले की सिफ़ारिश अनुकंपा के आधार पर अन्य आवेदकों सहित उम्मीदवार द्वारा निचले ग्रुप - 'सी' पदों के लिए पहले ही प्रयास में सामान्य अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्भर करती है।

5. उपर्युक्त पैरा-3 में उल्लिखित कोटियों सहित अन्य पात्र कोटियों, जहां सीधी भर्ती अनुमेय है, से लेवल-7 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए उक्त पैरा-4 में उल्लिखित सदृश्य प्रक्रिया/प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

6. अन्यथा निर्धारित पिछले मामलों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(एम.एम. राय)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (एन)-II
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)II/2018/आरआर-1/31 नई दिल्ली, दिनांक 30.12.2019

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

(i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा सं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली। (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा सं.256-ए, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(v) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(vi) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(vii) सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ।
(viii) सचिव, भारतीय रेलवे क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन।
(x) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास IV ऑफिसर्स एसोसिएशन।
(xi) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
(xii) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 7, रेल भवन, नई दिल्ली।
(xiii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
(xiv) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आरसीएफ/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड